29/7/24

29/7/24 पत्रावली में पत्र नहीं, कोई अवमान लगाया गया, कोई अस्थायी / स्थायी उप० नहीं।

अतः प्रा० पत्र पार्टी अदम हाजरी - अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 16.7.23 रद्द किया जाता है।

पत्रावली बैरल रजिस्टर होकर बाद नस्ती से हटाकर बाद-पत्र के साथ रखी जावे।

30.7.24

उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Badri Narain Meena
Date: 2024.09.20 15:18:12 IST
Reason: SelfAttested